राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ, जयपुर ।

:: आ दे श ::

रामप्रताप व अन्य बनाम् राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर वगैरा।

एकलपीठ सिविल रिट याचिका संख्या-213 /1996अन्तर्गत
अनुच्छेद 226 व 227 भारतीय संविधान.

आदेश दिनांक:- नवम्बर 28,2006

उ प स्थि त

माननीय न्यायाधिपति श्री शिव कुमार शर्मा

श्री निर्मल कुमार मालू, अधिवक्ता वास्ते प्रार्थीगण।
श्री पवन पारीक, अधिवक्ता वास्ते प्रतिपक्षीगण।

बहस के दौरान वादी/प्रतिपक्षीगण 3 लगायत 14 की ओर से एक आवेदन पत्र वाद को वापिस लेने के सम्बन्ध में प्रस्तुत किया गया है, जिसमें यह प्रार्थना की गई है कि वादी/प्रतिपक्षीगण विशेष अनुतोष की पालना का वाद, कब्जे के अधिकार को सुरक्षित रखते हुए सक्षम न्यायालय में संस्थित करना चाहते हैं। प्रतिवादी/प्रार्थीगण ने उक्त प्रार्थना पत्र का उत्तर प्रस्तुत किया है जिसमें उक्त प्रार्थना पत्र को निरस्त करने की प्रार्थना की है।

मैंने प्रार्थना पत्र पर उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत परस्पर विरोधी तर्कों को आद्योपांत सुना तथ प्रार्थना पत्र में वर्णित आधारों का अनुशीलन किया।

प्रार्थना पत्र में वादी/प्रतिपक्षीगण द्वारा **दुर्गादान बनाम देवी दान** (1974 RLW page 296) न्यायिक दृष्टान्त का संदर्भ दिया गया है, जिसमें इस न्यायालय ने निम्न निर्देश दिए थे :-

> "The sale document found to have been executed by the defendant in favour of the plaintiff purported to be a sale alright in every way, but according to its tenor, in law it could not be a sale, without the sale document being registered legal title in the property would not be transferred to the vendee. Right to get possession by the vendee arises only when the title is conveyed with the registration of the sale document. It is only for the sake of convenience and for avoiding multiplicity of siuts that even in a suit

> for specific performance of a contract for sale with respect to immovable property a prayer for possession is made, but it is far from saying that without such a prayer the suit for specific performance of the contract will not be maintainable."

मैं प्रकरण के गुणावगुण पर कोई मत अभिव्यक्त करना उचित नहीं समझता, किन्तु इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए कि इस प्रकरण में विवादित भूमि के सम्बन्ध में निष्पादित किये गये कथित अपंजीकृत विक्रय पत्र के विवेचन का प्रश्न अन्तर्ग्रस्त है, मैं न्याय के हित में वादी/प्रतिपक्षीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार करना उचित पाता हूं। अत: वादी/ प्रतिपक्षीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा वादी/प्रतिपक्षीगण को वाद वापिस लेने की अनुमति प्रदान की जाती है और उन्हें स्वतंत्रता प्रदना की जाती है कि वे विधि अनुसार वाद प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र रहेगें। चूंकि वादी/प्रतिपक्षीगण को अपना वाद वापिस लेने की अनुमति दे दी गई है, इसलिए यह रिट याचिका निरस्त की जाती है। पक्षकार रिट याचिका व्यय अपना-अपना वहन करेगें।

(न्या. शिव कुमार शर्मा)

एमसीएस